



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274478
CG-DL-E-14072026-274478

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3681]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 3681]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

का.आ. 3843(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2836(अ), दिनांक 24 जून, 2025 की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

क्र.सं.	मुख्य अधिसूचना में संशोधन की आवश्यकता वाले मामले		संशोधित कियाजाने वालामामला
	स्थान	मामले का विवरण	
1	प्रस्तावना (पैरा नंबर 1) में लाइन नंबर 3	किमी 144.65 से किमी 166.8	किमी 141+820 से किमी 144+250 तक और किमी 144+250 से किमी 164+355
2	क्रम संख्या 1 में कॉलम नंबर 3 (स्ट्रेच 3)में डिजाइन चेंजेज	एनएच-6 केकिमी 144.65 से किमी 166.8 तक	NH-6 के किमी 141+820 से किमी 144+250 तक और किमी 144+250 से किमी 164+355 तक

3	क्रम संख्या 1 में कॉलम 2 में भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी	एसीएस, सह-ज़िलाआयुक्त, लखीपुर	अतिरिक्त ज़िलाआयुक्त, कछार, सिलचर
---	--	-------------------------------	-----------------------------------

[फा. सं. एनएचआईडीसीएल/पीएमयू-सिलचर/डीपीआर/आर-के/2025-26]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th July, 2026

S.O. 3843(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the **National Highways Act, 1956** (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments to the Schedule of the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number **S.O. 2836(E)**, dated the **24th June, 2025**, namely:—

Sl. No.	Matter in Principal Notification that requires amendment		Matter to be Amended as
	Location	Details of Matter	
1	In Preamble (para no. 1) line no. 4 & 5	the stretch of land from 144.65 To 166.80	the stretch of land from km 141+820 To km 144+250 and km 144+250 To km 164+355
2	Design Chainages in Column 3(stretch 3) in Sl. No. 01	NH-6 km 144.65 To km 166.80	NH-6 km 141+820 To km 144+250 and km 144+250 To km 164+355
3	Competent Authority for Land Acquisition (CALA 2) in Column 2 in Sl. No. 01	ACS, Co-District Commissioner, Lakhipur.	Additional District Commissioner, Cachar, Silchar

[F. No. NHIDCL/PMU-Silchar/DPR/R-K/2025-26]

SHAIKH AMINKHAN, Director